Exemption from electricity duty for captive power plant

4.3. केप्टिव पॉवर संयंत्र को विद्युत ड्यूटी में छूट :–

4.3.1 **केप्टिव पावर संयंत्र को विद्युत ड्यूटी में छूटः**– ऐसे केप्टिव पावर संयंत्र, जिनकी स्थापना के लिये 1 वर्ष के भीतर प्रभावी कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाती है एवं निम्नानुसार अवधि में विद्युत उत्पादन प्रारंभ कर देते हैं, तो उन्हें **पांच वर्ष तक** विद्युत ड्यूटी में छूट दी जाएगी–

क्रमांक	विद्युत संयंत्र का प्रकार	विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने की अवधि
1	गैस आधारित संयंत्र	दो वर्ष में
2	हायडेल/थर्मल/अन्य प्रकार के विद्युत संयंत्र	तीन वर्ष में

यह छूट केवल स्वयं के उपयोग हेतु उत्पादित विद्युत पर प्राप्त होगी।

(कंडिका क्रमांक 4.3.1)

मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
—:: **अधिसूचना** ::—

भोपाल, दिनांक 29/09/2004

क्रमांक 5691/13/2004: यतः राज्य सरकार की यह राय है कि किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के वर्ग, उद्योग या उद्योगों के वर्ग जो कि राज्य में कैप्टिव पावर संयंत्र स्थापित करने का आशय रखते हों, की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा 3—बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों के वर्ग, उद्योग या उद्योगों के वर्ग को जो नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट उन कैप्टिव पावर संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता हो, जिनमें कैप्टिव पावर संयंत्र के संस्थापन के लिए एक वर्ष के भीतर पर्याप्त कार्य प्रारंभ हो गया है तथा अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर स्वयं के उपभोग के लिए विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हो गया है, उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए विद्युत शुल्क के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

1. यह छूट केवल स्वयं के उपभोग के लिए, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन पर उपलब्ध होगी।
2. कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का वर्ग, उद्योग या उद्योगों का वर्ग 10 किलोवाट से अधिक क्षमता के कैप्टिव पावर संयंत्र की संस्थापन के पश्चात्, विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए संबंधित विद्युत निरीक्षक से पात्रता का प्रमाण—पत्र अभिप्राप्त करेगा तथा केवल ऐसे प्रमाण—पत्र के आधार पर ही छूट के लिए हकदार होगा।
3. जैसा ऊपर उपबंधित है यह छूट किसी ऐसे अन्य कैप्टिव पावर संयंत्र को उपलब्ध नहीं होगी जो किसी पुराने कैप्टिव पावर संयंत्र को प्रतिस्थापित करके संस्थापित किया गया हो।

(Para No. 4.3.1)

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
ENERGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Bhopal, dated 29.9.2004

No. 5691 Whereas the State Government is of the opinion that having regard to the particular circumstances of the person, class of persons, industry or class of industries who intend to establish the captive power plants in the state, it is necessary and expedient so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3-B of the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949 (X of 1949), the State Government hereby exempts wholly, any person, class of persons, industry or class of industries who generate electrical energy by the captive power plants as specified in column (2) of the Schedule below, wherein the substantial work starts within one year for installation of captive power plant and the commencement of generation of electrical energy for self consumption take place within the period specified in column (3) of the Schedule, from the payment of electricity duty for a period as specified in column (4) of the said Schedule, subject to the following conditions namely :-

1. This exemption shall be available on the generation of electrical energy only for self consumption.
2. Any person, class of persons, industry or class of industries, after installation of the captive power plant of more than 10 KW capacity. shall obtain a certificate of eligibility for exemption from payment of electricity duty from the Electrical Inspector concerned and shall be entitled for exemption only on the basis of such certificate.
3. As provided above the exemption shall not be available to any other captive power plant installed in replacement of old ones.

<u>अनुसूची</u>

अनुक्रमांक	कैप्टिव पावर संयंत्र का प्रकार	विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के प्रारंभ होने की कालावधि	विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की कालावधि
1.	2.	3.	4.
1.	गैस आधारित संयंत्र.	2 वर्ष के भीतर	संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष
2.	हायडल / थर्मल / अन्य प्रकार के पावर संयंत्र.	3 वर्ष के भीतर	संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता. / –
(राकेश साहनी)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

पृ0क0 5692 / 13 / 2004 भोपाल, दिनांक 29 / 09 / 2004

प्रतिलिपि –

1. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मान. मुख्य मंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, विंध्याचल भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, म.प्र. पश्चिम /पूर्व/ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि, इंदौर/ जबलपुर /भोपाल।
6. सचिव, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर।
7. सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, शिवाजी नगर, भोपाल।
8. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय म.प्र. शासन, भोपाल– कृपया अधिसूचना को आगामी राजपत्र में प्रकाशित कर इस विभाग को राजपत्र की 200–200 प्रतियॉ (हिन्दी एवं अंग्रेजी) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, म.प्र. शासन, भोपाल।

हस्ता./–
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

SCHEDULE

S.No.	Type of the captive power plant	period of commencement of generation of electrical energy	period of exemption from payment of electricity duty.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Gas based plant	within 2 years	5 years from the date of commencement of generation of electrical energy by the plant.
2.	Hydel / Thermal /Other type of power plant	Within 3 years	5 years from the date of commencement of generation of electrical energy by the plant

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,
Sd/-
(Rakesh Sahni)
Principal Secretary
Government of Madhya Pradesh,
Energy Department.